रजिस्ट्री सं० डी. 221 | REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1, 1966/पौष 11, 1887

No. 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 1966/PAUSA 11, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st January 1966

No. 20/1/64-EI.—In partial modification of Clause 1 of the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.R.O. 794, dated the 21st [illegible]ber, 1950 in regard to the procedure for payment of application fees for export licences, the Central Government hereby directs that the prescribed fee shall be credited under the head "Export Licence Application Fees" subordinate to the Major head "XXXII Miscellaneous Social and Developmental Import and Export Trade Control Organisation".

P. SABANAYAGAM,

Chief Controller of Imports and Exports.

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1966

1	2
यंत्रों का अधिक प्रयोग कर के छिलका उतारने की लागत घटाने की सम्भावना प्रतीत होती है ।	सरकार छिलका उतारने की मशीनों का आयात करने के लिये आवश्यक सहायता देगी ।
किस्म नियंत्रण के वर्तमान उपायों के अन्तर्गत निर्धारित किए गए वर्ग विभिन्न देशों की मांगें पूरी करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं । विदेशी बाजारों की सब प्रकार की मांगें पूरी करने के लिये वर्गों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है ।	काली मिर्च के वर्गीकरण तथा विपणन नियमों के अनुसार छः वर्गों की पहले से ही व्यवस्था है और यह अनुभव किया जाता है कि वर्गों की यह संख्या पर्याप्त है । व्यापारियों द्वारा और अधिक वर्ग बनाने की कोई मांग नहीं की गई है ।
भारत, इंडोनेशिया, सरावक तथा अन्य निर्यातकों द्वारा सम्मिलित प्रचार का प्रयत्न किया जा सकता है । इसके खर्च को विभिन्न देश आपस में करार कर के किसी आधार पर दे सकते हैं ।	सरकार ने यह सुझाव नोट कर लिया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय और इस की एक-एक प्रति समस्त संबद्धों को भेज दी जाय ।

पी० के० जे० मेनन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS. … PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATINOS, DELHI, 1966